सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 568 राँची, सोमवार, 7 पौष, 1937 (श०)

28 **दिसम्बर, 2015 (ई०)**

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

संकल्प

22 दिसम्बर, 2015

विषयः- राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में यू०जी०/पी०जी० कोर्स में शतप्रतिशत नामांकित सीटों को बरकरार रखने, नामांकन नहीं लेने, बीच सत्र में महाविद्यालय छोडने पर आर्थिक दण्ड अधिरोपित करने तथा पी०जी० कोर्स में नामांकन के लिये ग्रामिण क्षेत्रों में पदस्थापित चिकित्सा पदाधिकारियों के लिए 50 प्रतिशत सीट आरक्षित करने के संबंध में स्वीकृति ।

संख्या-**9**@चि०महा०-07-08/14-230(9)**--**राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में Under Graduate/Post Graduate Course में नामांकन के उपरान्त अथवा कोर्स पूरा करने के पूर्व कुछ छात्र कोर्स छोड़कर अन्यत्र चले जाते हैं जिसके फलस्वरूप उक्त सीटें रिक्त रह जाती है । इससे राज्य को अपूरणीय क्षति होती है ।

वर्तमान प्रावधान के अनुसार पी०जी० कोर्स में पढ़ाई के दौरान अथवा कोर्स पूरा करने के पूर्व कोर्स छोड़कर जानेवाले पी०जी० छात्रों को छात्रवृति के मद में भुगतान की गई राशि एवं 20 प्रतिशत अतिरिक्त राशि जोड़कर जमा कराया जाता है। यह राशि अत्यल्प होने के कारण छात्रों में कोर्स छोड़ने की प्रवृति बढ़ गई है ।

अतः राज्य के मेडिकल कॉलेज में Under Graduate/Post Graduate Course कोर्स में शतप्रतिशत सीटों पर नामांकन सुनिश्चित करने के लिये राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैः-

2. All India Quota एवं State Quota के सीटों के विरूद्ध Under Graduate/Post Graduate Course कोर्स में नामांकन हेतु Final round of counselling द्वारा आवंटित सीटों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। यदि कोई छात्र Final counselling के उपरान्त आवंटित महाविद्यालय में नामांकन नहीं लेते हैं तो वैसे छात्रों को झारखण्ड़ में उक्त कोर्स में नामांकन हेतु NEET U.G./P.G. अथवा राज्य सरकार द्वारा नामित अन्य संस्थानों द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये अगले एक शैक्षणिक सत्र के लिये वंचित कर दिया जायेगा । इसके अतिरिक्त यदि वे राज्य बाहर के किसी अन्य चिकित्सा महाविद्यालय में नामांकन कराते हैं एवं कोर्स पूर्ण करने के पूर्व छोडकर किसी अन्य महाविद्यालय में नामांकन कराते हैं तो आर्थिक दण्ड के रूप में रू0 10,00,000/- (दस लाख) का दण्ड अधिरोपित किया जायेगा तथा छात्रवृति के रूप में भुगतान की गई राशि की भी वसूली की जायेगी ।

3. P.G. कोर्स में नामांकन लेनेवाले All India Quota एवं State Quota के सभी छात्रों को एक Bond Paper समर्पित करना होगा, जिसमें कोर्स पूरा करने के उपरान्त एक वर्ष तक झारखण्ड़ सरकार के अधीन सेवा करने की बाध्यता का उल्लेख होगा । इस शर्त का अनुपालन नहीं करने वाले छात्रों पर रू0 15,00,000/- (पंन्द्रह लाख) का आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया जायेगा । सरकार द्वारा कोर्स समाप्ति के उपरांत रिक्त पदों के विरूद्ध अनुबंध के आधार पर एक वर्ष के लिए सफल विद्यार्थियों सीधी नियुक्ति Campus Selection द्वारा की जायेगी । यदि सरकार उन्हें झारखण्ड सरकार के अधीन सेवा प्रदान करने में विफल रहती है तो यह बाध्यता स्वतः समाप्त मानी जायेगी ।

4. माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा वाद सं0- W.P. (PIL)-1938/2014 में पारित न्यायादेश एवं भारतीय चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली की संशोधित अधिसूचना सं०- M.C.I.-18 (1)/2010-med/62052 दिनांक 15 फरवरी, 2012 द्वारा अधिसूचित Post Graduate Medical Education (Amendment) Regulation, 2012 (Part-1) की उप कंडिका ¼vii) के अनुपालन में झारखण्ड सरकार के सेवा में कार्यरत चिकित्सा पदाधिकारी जो ग्रामिण क्षेत्र में तीन वर्षों तक कार्यरत रह चुके हैं को स्नातकोतर पाठ्यक्रम के सभी विषयवार डिग्री / डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में नामांकन हेतु कुल डिग्री / डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के सीटों का 50 (पचास) प्रतिशत सीट आरक्षित किया जायेगा । इन आरक्षित सीटों वाले चिकित्सा पदाधिकारियों को एक बंध पत्र देना अनिवार्य होगा कि वे डिप्लोमा की उपाधि

प्राप्त करने के उपरान्त कम-से-कम पाँच वर्षों तक राज्य सरकार के अन्तर्गत अपनी सेवा देंगे । इस निमित उन्हें 10,00,000/- (दस लाख) रूपये का एक बॉण्ड देना होगा। बन्ध पत्र का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में 10,00,000/- (दस लाख) रूपये एवं डिग्री / डिप्लोमा पाठ्यक्रमों पर हुए व्यय की वसूली की जायेगी । इन 50 प्रतिशत आरक्षित सीट पर भी झारखण्ड राज्य का आरक्षण नियम लागू होगा ।

5. संकल्प निर्गत की तिथि से प्रवृत समझा जायेगा । एतद संबंधी सभी अधिसूचनाएँ, संकल्प, नियम एवं नियमावली, आदेश / अनुदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

के० विद्यासागर,
सरकार के प्रधान सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) **568**—50 ।